भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3637

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)को दिया गया

पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन

†3637. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त योजना को कब तक लागू करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है और राज्यों को यह निधि कब तक लौटाए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख):सरकारी राजकोष पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की अवहनीय राजकोषीय देयता के कारण इसे दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग): सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित करने वाली राज्य सरकारों और दिनांक 26.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (एयूएम) (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	53,403.89
छत्तीसगढ़	24,030.04
झारखंड	14,420.90
पंजाब	40,673.08
हिमाचल प्रदेश	12,525.96

पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और अन्य संगत विनियमों के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके माध्यम से अभिदाताओं के संचित कॉर्पस अर्थात सरकारी अंशदान, एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान के साथ-साथ उपचय को वापस किया जा सकता है और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सकता हो।
